प्रकरण संख्या:–135/2010

अनवान

1. मनफुला पुत्री जगनाथ जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कांमा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. सुगना पुत्री जगनाथ जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कांमा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादीगण

बनाम

1. अमरा पिता जगनाथ जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कांमा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. मु. प्रेम पत्नि रतना जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कांमा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. सुशीला पुत्री रतना जाति गुर्जर नाबालिग बबिलायत माता मु. प्रेम पत्नि रतना जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कांमा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. संतोष पुत्री रतना जाति गुर्जर नाबालिग बबिलायत माता मु. प्रेम पत्नि रतना जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कांमा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. मु. देउ बेवा जगनाथ जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कांमा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता वादी
श्री लक्ष्मीलाल सुराणा अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,183,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 22.06.2018

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक नियमित राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,183,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड न्यायालय माण्डलगढ में प्रस्तुत किया। उपखण्ड न्यायालय बिजौलिया नवीन सृजित होने से प्रकरण इस न्यायालय को दिनांक 29.04.2010 को मुंतकिल होकर प्राप्त हुयी जिसे पंजीबद्व कर सुनवायी प्रारम्भ की गयी। वाद में अंकित किया कि ग्राम कांमा तहसील बिजौलियां में वादीयागण व प्रतिवादी संख्या एक के पिता, प्रतिवादी संख्या 2 के ससुर, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के दादा, प्रतिवादी संख्या 5 के पति जगनाथ पिता सोराम गुर्जर के खातेदारी अधिकार स्वामित्व की आराजियात निम्न थी। खाता स0 31 आराजी न0 146, 199, 363, व 574/198 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खाता स0 137 आ0न0 576/106, 577/105, 577/105/1 कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा एवं खाता संख्या 32 आ0न0 153 रकबा 3 बिस्वा आ0 चा0 में 1/3 हिस्सा सन् 1988 में खातेदार जगनाथ पिता सोराम गुर्जर की मृत्यु हो गयी, जिसकी पत्नि मु. देउ प्रतिवादी न0 5 तथा पुत्र प्रतिवादी न0 1 अमरा एवं स्वर्गीय रतना तथा पुत्रियां वादीयागण हुये। वादीयागण के अलावा मु0 किशनी पुत्री थी जो लाओलाद शान्त हुयी। रतना पिता जगनाथ की मृत्यु हो गयी जिसके वारीस प्रतिवादी न0 2 लगायत 4 है। इस प्रकार खातेदार जगनाथ के मृत्यु के बाद विवादित आराजीयात के खातेदार कृषक वादीयागण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 जरिये विरासत होकर काबिज हुये। जगनाथ जी की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरण संख्या 142 प0ह0 द्वारा दिनांक 30.05.89 को दर्ज किया गया जिसमें वादीयागण, प्रतिवादी न0 1 तथा प्रतिवादी न0 2 लगायत 4

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नामान्तरकरण से हटाकर प्रतिवादी संख्या 1, [illegible] नामान्तरकरण निर्णित कर दिया। इस निर्णय से पूर्व वादीयागण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया और न ही किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र प्रदान किया गया। वादियागण विवादित आराजियात के विरासत से खातेदार एवं कब्जेधारी होने के कारण यही समझते है कि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के साथ वादीयागण का नाम दर्ज रिकार्ड है। गलत तरीके से प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किये जाने की कोई जानकारी वादीयागण को नही हो सकी। वादीयागण अशिक्षित महिलावर्ग होने से अपने अधिकारों के प्रति विशेष सावधन भी नही रह सकी। किन्तु प्रतिवादी न0 6 भूमिधारी को अकारण ही अपने पिता जगनाथ की सम्पति के उत्तराधिकार के अधिकारों से वंचित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादीयागण ने न तो अपनी हिस्से की भूमि का विक्रय हस्तान्तरण किया है, न ही अपने हक का परित्याग किया है। इस प्रकार वादीयागण विवादित भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 के साथ संयुक्त खातेदार है एवं विवादित आराजीयात में वादीया संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात सयुक्त अविभक्त भूमि है। जून 2005 में आपसी विवाद हो जाने के कारण सयुक्त रूप से काश्त करना संभव नही रहा है और विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। इस प्रकार वादीयागण अपने 2/5 हिस्से की भूमि को अलग दर्ज खाता कराये जाने की अधिकारीणी है। वादीयागण निम्न अनुतोष चाहती है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम न0 1 में वर्णित भूमि में वादीया संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है। तदनानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विभाजन करा खाता अलग दर्ज कराया जावे साथ ही विवादित आराजियात में वादीयागण के हिस्से की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीयागण को सुपुर्द किये जाने की डिक्री सादिर फरमायी जावे एवं कब्जा प्राप्ति तक लगान का 50 गुणा बतौर मुआवजा राशि प्रतिवादीगण से दिलायी जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण को तलवी जरिये नोटिस मय नकल भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण 1 से लगायत 5 की ओर से श्री लक्ष्मीलाल सुराणा अधिवक्ता ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

जवाब मे अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित तथ्य मनगढत होकर अस्वीकार है। वाद पत्र में वादी ने अंकित किया की वादपत्र की कलम न0 1 गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में उल्लेखित जायदाद के मालिक तनहा प्रतिवादीगण हैं एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में तनहा मालिक है एवं उक्त सभी आराजीयात प्रतिवादीगणों के नाम से पहले प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एवं उनकी मृत्यु के उपरांत सभी के नाम पर आयी है। मनफुला एवं सुगना का उक्त आराजीयात एवं स्वर्गीय श्री जगनाथ पिता सौराम जी गुर्जर निवासी कांमा से किसी प्रकार का कोई सम्बंध नही है। मनफुला, सुगना के पिता का नाम भवाना गुर्जर माता का नाम श्रीमती नन्दू गुर्जर है। भवाना की मृत्यु हो चुकी है जबकि मनफुला, सुगना की माता श्रीमती नन्दु बेवा भवाना जीवित है। मनफुला, सुगना द्वारा अपने पिता का नाम गलत अंकित किया गया है। इस कारण प्रथमतः दावा स्वतः ही खारीज योग्य है। जगनाथ पिता सौराम गुर्जर नि0 कांमा से मनफुला, सुगना का कोई सम्बंध नही है। मनफुला, सुगना का जब जगनाथ से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नही है तो ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात पर उनका कब्जा होने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। उक्त जायदाद आराजीयात के एक मात्र मालिक प्रतिवादीगण है एवं वे ही बहैसीयत मालिक काबिज है। अगर पटवारी हल्का द्वारा या भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा इस प्रकार का अंकन करना ही गलत था। अगर अंकन किया

वक्त सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज किया जाता। विरोधाभाषी तथ्यों का अंकन किया गया जो स्वतः यह दर्शाता है कि मनफुला, सुगना द्वारा षडयन्त्र किया जाकर प्रतिवादीगणों की जायदाद को नुकसान पहुँचाने एवं छीनने की गरज से गलत तथ्यों पर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। मनफुला, सुगना का उक्त सम्पति आराजीयात पर कभी कोई कब्जा ही नही रहा है एवं न ही जगनाथ के वैधिक उत्तराधिकारी है। ऐसी स्थिति में सभी तथ्य न्यायालय को भ्रमित करने हेतु दर्ज किये गये है। जब मनफुला, सुगना का उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई वैधिक अधिकार ही नही है तो उसे विक्रय करने या परित्याग करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अन्य सभी तथ्य गलत है।मनफुला, सुगना द्वारा स्वयं की पहचान को ही छुपाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वाद पत्र में उल्लेखित वादीगण कोई भी वैधानिक व्यक्ति नही है। जवाब में प्रतिवादीगण ने विशेष कथन अंकित करते हुये जवाब की कम संख्या 15 में अंकित किया कि मनफुला पुत्री जगनाथ एवं सुगना पुत्री जगनाथ नाम का कोई वैधानिक व्यक्ति .नही है न ही इस वलदियत का कोई व्यक्ति या औरत कांमा में निवास करती है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र गलत नाम से प्रस्तुत करने से काबिल निरस्ती के है। कोई भी ऐसा तथ्य या प्रमाण मनफुला या सुगनाद्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। जिसे यह प्रमाणित हो की वाद पत्र में अंकित वादीया सही है। श्रीमती मनुफला एवं श्रीमती सुगना श्री भवाना गुर्जर एवं श्रीमती नंदू गुर्जर पत्नि भवाना गुर्जर निवासी कांमा की संताने है, न की प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जगनाथ एवं प्रतिवादी संख्या 5 की पुत्रियां। मनफुला एवं सुगना ने एवं उनके परिवार वालों ने आपराधिक षडयन्त्र कर प्रतिवादीगणों को हैरान परेशान करने की गरज से गलत वाद पत्र पेश किया है। जो काबिल निरस्ती है।श्रीमती मनफुला एवं श्रीमती सुगना का श्री जगनाथ जी से कोई संबंध नही है। दोयम वे अगर श्री जगनाथ के वैधिक उत्तराधिकारी है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में वैधिक उत्तराधिकारी घोषित करवाने हेतु वाद लाना चाहिये, इस न्यायालय को वैधानिक उत्तराधिकारी घोषित करने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में दावा चलने योग्य नही है। मनफुला एवं सुगना द्वारा जिस नामान्तरण को आधार बताया जाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है उसे निर्मित हुये 17 वर्षो से अधिक का समय हो गया है। ऐसी सूरत में वाद चलने योग्य नही है।श्रीमती नंदू बेवा भवाना गुर्जर जो श्रीमती मनफुला एवं सुगना की मां है जो जीवित है यह तथ्य भी न्यायालय से छुपाया गया है जो प्रमाणित करता है कि श्रीमती मनफुला एवं सुगना द्वारा गलत वाद पत्र पेश किया गया है। अतः वादपत्र वादीगण सव्यय खारीज फरमाया जावे।

वादीगण ने अपने वादपत्र के साथ जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 खाता संख्या 31, जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 खाता संख्या 137, जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 खाता संख्या 32, नामान्तरकरण संख्या 142, निर्णय 14.06.89, जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 प्रस्तुत की है।

उपखण्ड अधिकारी
विजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है।

वादपत्र एवं प्रतिवादपत्र के आधार पर निम्न वाद बिन्दु तय किये गये।

तनकी न0 1. आया वादग्रस्त आराजीयात वादीयागण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी होने से वादीगण प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा निहीत होकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य है। ....जिम्मेवादीगण

तनकी न0 2. आया वादग्रस्त आराजीयात का वादीयागण अपने–अपने हिस्से का विभाजन करा, राजस्व रिकार्ड में अलग दर्ज खाता कराने एवं वादीयागण के हिस्से से प्रतिवादीगण को बेदखल करा कब्जा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। ....जिम्मेवादीगण

निषेधाज्ञा प्राप्ति करने का

तनकी न0 4. आया वादीयागण का वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार जगनाथ पिता सोराम गुर्जर से किसी प्रकार का संबंध नही होने से हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। .....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी न0 5. आया वादी को वाद लाने का अधिकार नही है एवं अपनी मां को पक्षकार नही बनाया गया। दावा खारीज योग्य है। .....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी न0 6. आया श्रीमती मनफुला एवं सुगना स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आयी है एवं अपनी मॉ सुगना के जीवित होते हुये भी उसका कोई प्रकटीकरण वाद पत्र में नही किये जोन से भी वादपत्र काबिल निरस्त है। .....जिम्मे प्रतिवादीगण

मौखिक साक्ष्य में वादीया मनफुला पिता गंगाराम पुत्री जगनाथ गुर्जर नि0 कांमा को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया कि मेरे पिता के पॉच भाई–बहिन है। उसमें से एक मर गयी, जिनमें बडा अमरा है। किशनी है जो मर गयी। उसके छोटा रतन है। उससे छोटी मनफुला व सबसे छोटी सुगना है।मेरे पिता ने दो शादी की। पहले वाली मॉ के अमरा, रतना हुयी जिसमे रतना मर गया। जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 से 4 है। दूसरी मॉ के सुगना व मनफुल है। हमारी पुश्तैनी जमीन ग्राम गणेशपुरा के आगे है। किस सीमा में आती हैं मुझे पता नही है। हम दो बहिन के दो हिस्सा आता है। दो हिस्सा उनके जाता है। मेरे पिता के शान्त होने के बाद प्रतिवादीगण ही काश्त कर रहे है। जमीन में हमारा हिस्सा लेना चाहती है। मुझे पाती दिलायी जावे। जिरह में लिखाया कि मेरी मॉ का नाम नंदू है। नंदू के हमारे दोनों के सिवाय कोई संतान नही है। नंदू जीवित है। जो उसके पास रह रही है। देबी,भोजा, नारायण गुर्जर मेरे कुछ भी नही लगती। मेरी मॉ ने सात फेरे किसके साथ लिये मुझे पता नही। मेरी शादी को 20 वर्ष हो गये। मेरी शादी भैरूपुरा के गंगाराम के साथ हुयी। यह बात सही है कि मेरी ननद की शादी भोजा के साथ हुयी। देवा, भोजा, नारायण गुर्जर किसकी संताने है मुझे पता नही। मेरी मॉ ने दूसरी शादी किसके साथ की मुझे पता नही। दूसरी शादी के बाद मेरी मॉ के संतान हुयी मुझे पता नही।मेरे बाप का नाम जगन्नथ है, जगन्नाथ के पिता का नाम सोराम है, मेर मा की शादी कब हुई मुझे याद नही। यह बात सही है कि जगन्नाथ की पत्नि दोनो ही जिवित है। इएक्स–5 कितने वर्ष पुराना है में नही कह सकती। मेरे पिता को मरे 20 वर्ष हो गये। मेरे पिता मेरी शादी करने के बाद मरे, सुगना की व मेरी शादी दोनो की साथ हुई। शादी के बाद मे ससूराल नही गई। कामा में रहती हुँ, मेरे पिता के नाम 13–14 बीघा जमीन है। अमरा, भाई सभी जमीन को काश्त कर रहा है। पिछले 20 वर्षो से मेने खेती नही की हैं। मु0 देउ जगन्नाथ की प्रथम पत्नि है, मेरी मा जगन्नाथ के नाते आई। यह कहना गलत है कि मे अपने आप जगन्नाथ की संतान बताकर अमरा की जमीन हडपना चाहती हो। मेने मेरी मा नन्दू पर दावा नही किया। प्रतिवादीगण अमरा, रतन देउ मेरे से बडे है। यह सही है कि अमरा रतन की मा अलग है हमारी मा अलग है।

उपखण्ड अधिकारी
विजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

साक्ष्य वादी में अन्य कोई दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही होने से शहादत वादी बंद की गई।

शहादत प्रतिवादी मे डी0डब्ल्यू0 1 अमरा पिता जगन्नाथ गुर्जरनिवासी कामा ने प्रस्तुत कर शपथ पत्र/मौखिक साक्ष्य करवाये गये। शपथ पत्र मे अमरा प्रतिवादी स0 अपने परिवार माता देउ बैवा जगन्नाथ भाई रतना की बैवा प्रेम एंव उसके पुत्र व पु सुसीला, संतोष के साथ सामील सरीक रहते है। वादीगण मनफूला सुगना के पिता नाम जगन्नाथ नही है उन्होने अपने आप को झुठा बताते हुये वादपत्र प्रस्तुत किया की मनफूला सुगना के पिता नाम भवाना गुर्जर एंव माता का नाम

वादीगणो द्वारा
जगन्नाथ की नाजायज औलाद होता
जाता। प्रतिवादीगण सं0 1 से 5 एंव उनके पूर्वज जगन्नाथ जी
संबंध नही था। स्व0 जगन्नाथ की पत्नि प्रतिवादी सं0 5 है। न्यायालय हाजा को
उत्तराधिकारी घोषित करने का कोई क्षैत्राधिकार नही है। जिरह में लिखवाया कि
जगन्नाथ जी को मरे 30 साल हो गये। जगन्नाथ की संताने अमरा, रतना, किशनी है।
माता देउ अभी जिवित है। मैं जगन्नाथजी की मृत्यू हुई तब हम उनके साथ ही रहते
थे। मै मनफूला व सुगना को नही जानता हुँ ये दोनो ही कामा में निवास कर रही हैं।
यदि देवी गुर्जर हमारे गांव पेदा हुआ होगा तो मुझे इसकी जानकारी नही हैं। यह मुझे
जानकारी नही है कि जगन्नाथ की मृत्यू के बाद हमारे साथ नन्दू बेवा जगन्नाथ,
मनफूला सुगना पुत्री जगन्नाथ का खाता भी खोला गया।जगन्नाथ जी द्वारा मकान
बनाया गया व ढस गया मेने बाद मे अलग मकान बनाया । किशनी को मरे 15 साल
हो गये, नन्दू अभी कामा मे मनफूला सुगना के पास रह रही है। यह सही है कि भवाना
गुर्जर की पत्नि नन्दू थी जो मनफूला सुगना की मा है।

इसके अतिरिक्त साक्ष्य प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से
शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

बहस विद्ववान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की सूनी गई।

तनकीवार विवेचन किया गया।

तनकी न0 1. आया वादग्रस्त आराजीयात वादीयागण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी होने
से वादीगण प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा निहीत होकर खातेदार काश्तकार घोषित
किये जाने योग्य है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा
प्रस्तुत साक्ष्य सेयह प्रमाणित नही होता है कि वादीगण श्री जगन्नाथ गुर्जर की संतान
हो। वादीगणो द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया है
जिससे कि प्रथम दृष्टिया यह प्रमाणित हो कि वादीगण श्री जगन्नाथ की पुत्रीयां हो
वादीगणों में से केवल मात्र मनफूला ने अपने शशपथ बयान न्यायालय के समक्ष दिये
है। उसके द्वारा अपने बयान में स्वीकार किया कि हमारी मॉ नन्दू की हम दो ही संताने
है एंव नन्दू जिवित है जो उसके पास रह रही है। उसकी मॉ ने किसके साथ शादी की
यह भी उसको जानकारी नही है एंव स्थिति में जब उसकी मॉ जिवित है एंव उसे साक्ष्य
मे वादीगणो द्वारा प्रस्तुत नही किया गया जो स्पष्ट यह संकेत देता है कि असल तथ्यों
को न्यायालय से छुपाने का संकेत है क्योकी दुनिया में मॉ ही एक ऐसी सक्षियत जो
बता सकती है कि उसकी संतानो का पिता कौन है। वादीगणों द्वारा उनकी मॉ को
गवाह के रुप में प्रस्तुत नही किया गया है एंव इस सन्दर्भ में नामान्तरकरण सं0 14
ग्राम पंचायतविक्रमपुरा जो कि दिनांक 14.06.1989 को ग्राम पंचायत द्वारा फैसल किय
गया है। उस निर्णय करते समय सरपंच ने निर्णय में यह अंकित किया कि न
जगन्नाथ के जीवन काल में ही उसे छोड कर अपने पहले पति के पास चली गई। इ
निर्णय में वादीगणो का कोई उल्लेख नही है। इससे यह सिद्व नही हो पाता है
वादीगण जगन्नाथ की पुत्रीया हो। नामान्तरकरण सं0 142 की असल प्रति भी न्याया
द्वारा तलब की गई थी। प्रथम दृष्टिया उस नामान्तरकरण को देखने से यह सदेह प्र
होता है कि वादीगणो द्वारा उनमें किसी भी तरह की हेराफेरी करवाई गई है। ज
प्रतिवादीगणो द्वारा अपने प्रस्तुत साक्ष्य में वादीगणो से उनके पिता से किसी भी
का संबंध नही होने का तथ्य पुर्ण रुप से प्रमाणित करवाया गया है।वादीगणो
प्रस्तुत नजीर इस पर चस्पा नही होती है। जबकि प्रथम दष्टिया इस तनकी को
कराने का भार वादीगणो पर था जो वादीगण साबित कराने में असफल रहे
वादग्रस्त आरजीयात में वादीगणो का कोई हिस्सा प्रमाणित नही होता है एंव

उपखण्ड अधिकारी
विजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तनकी न0 2 व 3. आया वादग्रस्त आराजीयात की ... विभाजन करा, राजस्व रिकार्ड में अलग दर्ज खाता कराने एवं वादीयागण के हिस्से से प्रतिवादीगण को बेदखल करा कब्जा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। आया वादीयागण वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति करने की अधिकारीणी है। ....जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 2 व 3 दोनो तनकीयात वादीगण को सिद्व करायी जानी है। क्योकी दोनो तनकीया एक दुसरे के पुरक है तनकी नं0 1 का निर्णय वादी के विरुद्व तय किया गया है। जब तनकी नं0 1 मे वादीगणों को हिस्सा ही तय नही किया गया है तो विभाजन कराने के अधिकारी भी नही है। जब भूमि का हिस्सा भी नही मिला है तो किस प्रकार बेदखल किया जा सकता है।प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज आराजीयात में वादीगणो के नाम अंकित किया जाना विधि के विपरीत तनकी नं0 1 में माना गया है। एंव वादीगणों द्वारा कभी आराजीयात पर कब्जा होने का तथ्य एंव पुत्री होने का तथ्य प्रमाणित नही करवाया गया। ऐसी स्थिति में वादीगण किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारीणी नही है। ऐसी स्थिति में तनकी नं0 2, 3, का निर्णय विरुद्व वादीगण किया जाकर प्रतिवादीगणो के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी न0 4, 5 व 6:—आया वादीयागण का वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार जगनाथ पिता सोराम गुर्जर से किसी प्रकार का संबंध नही होने से हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। आया वादी को वाद लाने का अधिकार नही है एवं अपनी मां को पक्षकार नही बनाया गया। दावा खारीज योग्य है। आया श्रीमती मनफुला एवं सुगना स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आयी है एवं अपनी मॉ सुगना के जीवित होते हुये भी उसका कोई प्रकटीकरण वाद पत्र में नही किये जोन से भी वादपत्र काबिल निरस्त है। ....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 1, 2, 3 का निर्णय वादीगणो के विरुद्व हो चुका है जो ऐसी स्थिति में तनकी नं0 4 प्रतिवादीगणों के पक्ष में विरुद्व वादीगण निस्तारित की जाती है। तनकी नं0 5, 6, का निर्णय एक समान होने से एक साथ किया जा रहा है। वादीगणो द्वारा अपनी मॉ नन्दू होना स्वीकार किया है एंव नन्दू जिवित होने के तथ्य एव अपने साथ रहने के तथ्य को भी स्वीकार किया है जो यह स्पष्ट प्रमाणित करता है की वादीगण सही तथ्यो को न्यायालय से छुपाना चाह रहे है एंव उसे पक्षकार नही बनाया जाना भी एक विधिक गलती है जबकि वह प्रकरण की आवश्यक पक्षकार थी। क्योकी वह जगन्नाथ की पत्नि होती तो अपने एंव अपनी पुत्रीयों के हक अधिकारो के लिये स्वयं लडती एंव अपना पक्ष प्रमाणित करती। वादीगणों द्वारा श्रीमती नन्दू के जिवित होने एंव वर्तमान में उनके पास होने के तथ्य को भी वादपत्र में प्रकट नही किया गया है जो वादीगणों के आचरण को दर्शाता है कि वे स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष नही आये। ऐसी स्थिति में तनको नं0 5 व 6 का निस्तारण भी वादीगणों के विरुद्व एंव प्रतिवादीगणों के पक्ष में निस्तारित किया जाना न्यायोचित एंव विधि सम्वत् है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 88—183—53—188 रा0टि0एक्ट विरुद्व प्रतिवादीगण तनकीयात के निर्णय के अधार पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। मुताबिक निर्णिय डिक्री पर्चा कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 22.06.2018 को मुकाम सदारामजीकाखेडा पर लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

22/06/18

राजस्व लोक अदालत अभियान
उपखण्ड बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
(केम्प सदाराम जी का खेडा)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा